रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266632
CG-DL-E-03102025-266632

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सं. 23/2025–26

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.35 में संशाधन के संबंध में।

फा.सं. 01/89/180/42/एएम–25/पीसी–2 (क)/ई–43560.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रकिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.35 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा संख्या	**मौजूदा प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
2.35	भारत में मुक्त रूप से आयात की किसी मद के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के वास्तविक प्रयोक्ता के प्रमाणन पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट–2थ के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित	भारत में मुक्त रूप से आयात की किसी मद के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के वास्तविक प्रयोक्ता के प्रमाणन पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट–2थ के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित एएनएफ–2ञ के अंतर्गत किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।

	एएनएफ–2ञ के अंतर्गत किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।	बशर्ते कि, प्रतिबंधित मदों के आयात के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा केवल उन्हीं मदों के लिए ईयूसी जारी किया जाएगा जिनके संबंध में डीजीएफटी द्वारा प्रतिबंधित प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है और वह वैध है। ईयूसी में मात्रा और मूल्य उपर्युक्त प्रतिबंधित प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट मात्रा और मूल्य तक ही सीमित होना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.35 में संशोधन किया गया है, जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) प्रतिबंधित आयात मदों के लिए भी, डीजीएफटी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंधित प्राधिकार पत्र के अनुसार, अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

अजय भादू, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES

(Directorate General Of Foreign Trade)

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st October, 2025

No. 23 / 2025-26

Subject: Amendment to Para 2.35 of the Handbook of Procedures, 2023 - Reg.

F. No. 01/89/180/42/AM-25/PC-2[A]/E-43560.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 2.35 of the Handbook of the Procedures 2023 with immediate effect:

Para No.	Existing Provision	Revised Provision
2.35	In case of import of any freely importable item in India, if a foreign Government insists on certification of end user of the item, before permitting export of the same from their country, RA may issue such certificates as per Appendix 2Q of Appendices and Aayat Niryat Forms. The certificate shall be issued based on application made under ANF 2J along with documents prescribed therein.	In case of import of any Free/Restricted items in India, if a foreign Government insists on certification of the end user of the item before permitting export of the same from their country, the Regional Authority (RA) may issue an End User Certificate (EUC) as per Appendix 2Q of Appendices and Aayat Niryat Forms. The certificate shall be issued based on an application made under ANF 2J, along with documents prescribed therein. Provided further that, in the case of import of restricted items, the EUC shall be issued by RA only for those items in respect of which a restricted authorisation has been granted by DGFT and is valid. The quantity and value in the EUC should be limited to the quantity and value specified in the said restricted authorisation.

Effect of the Public Notice: Para 2.35 of the Handbook of Procedures, 2023, is amended to provide that the Regional Authorities (RAs) are authorised to issue an End-User Certificate (EUC) for restricted import items also strictly in accordance with the restricted authorisation granted by DGFT.

AJAY BHADOO, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.10.03 22:01:48 +05'30'